टी०ए० मिस केस सं० 261/2017-18

दिनांक	आदेश	अभ्युक्ति
09/10/2020	अभिलेख उपस्थापित। आवेदक **श्री अर्जुन पुरती एवं हर्षवर्धन पुरती, दोंनों के पिता–स्व० आसुतोश पुरती,** ग्राम–**दुम्बीसाई,** थाना–**मुफस्सिल,** जिला–पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा ने मौजा– दुम्बीसाई, थाना नं०–**643,** खाता नं०–19, प्लॉट नं०– 190, कुल **रकवा– 0.03 एकड़** भूमि क्रेता **सीमा बानरा, पिता– श्री लादुरा बानरा,** ग्राम– **बडा. चीरू,** थाना–**मुफस्सिल** के पास में बिक्री के द्वारा हस्तान्तरित करने हेतु अनुमति की मांग की गई है। इस संबंध मे छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1) (ए) के अन्तर्गत इस न्यायालय से आम सूचना निर्गत किया गया। तामीला अप्राप्त है। अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई, जो प्राप्त हुआ। अंचल अधिकारी सदर चाईबासा के पत्रांक 1023 दिनांक 13.10.2020 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि आवेदक द्वारा जॉच के समय मांगी गई वांक्षित कागजात उपलब्ध नहीं करायी गई जिसके कारण जॉच किया जाना संभव नहीं हो सका। उन्होंने आवेदन को अस्वीकृत करने हेतू अनुशंसा किया है। अतः संबंधित राजस्व उपनिरीक्षक/अंचल निरीक्षक/अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा के अनुशंसा के आलोक में आवेदक के आवेदन को **अस्वीकृत** किया जाता है। लेखापित 9/10 भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता सदर चाईबासा। 09/10/2020 भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता सदर चाईबासा।	

Scanned with CamScanner